

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2021

रायपुर, दिनांक / /2021

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, सचिवालय के आदेश क्रमांक 9864/वि.स./स्था./2021 दिनांक 23.10.2021 द्वारा गृह भाड़ा भत्ता संबंधी जानकारी 30 अक्टूबर, 2021 तक लेखा शाखा को उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय आदेश जारी की गई थी किन्तु अधिकांश अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र लेखा शाखा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः जिन अधिकारी/कर्मचारियों ने गृह भाड़ा संबंधी प्रपत्र लेखा शाखा में प्रस्तुत नहीं किया है वे दिनांक 06.12.2021 तक अनिवार्य रूप से जानकारी लेखा शाखा में प्रस्तुत करें। अन्यथा माह दिसम्बर, 2021 से गृह भाड़ा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

आदेश से,

हस्ताक्षर

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 30/11/2021

10983

पृ.क्रमांक /वि.स./स्था.2021

प्रतिलिपि

- 01.मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 02.मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा, के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 03.मान. उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 04.प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टाफ आफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।

हस्ताक्षर
उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा